न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 101/2011
प्रविष्टि दिनांक 13.04.2011

श्रीमति शशि अग्रवाल पत्नि श्री राजीव अग्रवाल निवासी 51/366 प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री प्रशान्त अग्रवाल, अजयकुमार जोशी अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 9—12—2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्रांम बरोनी तहसील निवाई की भूमि ख0नं0 335/1 में से 2000 वर्गमीटर तथा 335/2 में से 3300 वर्गमीटर अवाप्त कर भूमि का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 1014187/रूपये बारानी—1 भूमि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि ओद्योगिक भूमि के समीप स्थित होने तथा डी0एल0सी0 दर बहुत कम होने से ओद्योगिक भूमि की दर से भूमि का मुआवजा निर्धारण कर मय ब्याज राशि दिलाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 556,557/2009 दिनांक 8—7—2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित रहे अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब व [illegible] लिखित बहस [illegible] की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस [illegible] किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी [illegible] भूमि ख0न0 [illegible] 335/1 में से 2000 वर्गमीटर तथा 335/2 में से 3300 वर्ग[illegible] अवाप्त [illegible] है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के [illegible] नोटिफिकेंशन [illegible] के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:57:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.—12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्रार्थी द्वारा कोंई आपति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 556,557 / 2009 दिनांक 8–7–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 ख0नं0 ख0नं0 335 / 1 में से 2000 वर्गमीटर तथा 335 / 2 में से 3300 वर्गमीटर ग्राम बरोनी तहसील निवाई अवाप्त की गई है, जिसका मुआवजा बारानी–1 का डी.एल.सी. दर से अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का 1014187 / रू0 निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्व व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि ओद्योगिक रूपान्तरित न होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म बारानी–1 दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा ओद्योगिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु ओद्योगिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 9–12–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीटेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:57:37 IST
Reason: SelfAttested